FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराईं (अजमेर)

गुटका देवी पत्नि गोगा जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुक़दमा– 88,89 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 99 / 2021 (~~76/2014~~)

ऑनलाइन नंबर 2020 / ....

वकील प्रार्थीगण सलमा सुल्ताना

वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.12.2021	यह प्रार्थना पत्र वादीगण की ओर से वकील सलमा सुल्ताना ने अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06.01.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
06/1/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों के तामिलशुदा नोटिस शा० मि०/ वास्ते जवाब सरकार पत्रावली 21/1/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
21/1/2022	पत्रावली पेश हुई। राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कोरोना महामारी के कारण कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/2/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
11/2/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०/ पत्रावली पूर्व आदेश वास्ते जवाब सरकार दिनांक 18/2/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
29.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण। अधि० प्रार्थी ने पेश कर श्री मि. वापस लिया गया। प्रा० पत्र फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
(civil Procedure Code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)
व इजलास **श्री खेमा राम यादव** (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 99/2021

1. गूटखा देवी पत्नि गोगा जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ......वादीया

बनाम

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान .... प्रतिवादी

दावा बाबत :– धारा 88 ,89(राज.का. अधि.1955)
मुकदमा नम्बरः– 99 / 2021
निर्णय दिनांकः– 29.04.2022
न्यायालय अरांई में वकील वादी की उपस्थिती में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 29.04.2022 को डिक्रीदार पीठसीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व वकील वादी की बहस के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज.का. अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी भू.अ.नि. दादिया स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 76 खसरा संख्या 340 कुल किता 01 कुल रकबा 7.9201 हैक्टैयर भूमि की दिनांक 23.10.2020 को हुये विक्रय विलेख के पृष्ठ क्रमांक 03 में सूरज्ञान पत्नि रामधन जाति जाट आयु 52 साल के स्थान पर गूटखा देवी पत्नि गोगा जाति जाट आयु 48 साल का अंकन करने की डिक्री दी जाकर तहसीलदार अरांई को उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।
यह डिक्री आज तारीख 29.4.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

(मुहर) अरांई (अजमेर)

29/04/22
खेमा राम यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

लय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 99/2021

1. गुटखा देवी पत्नि गोगा जाति जाट निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ......वादीया

बनाम

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

.... प्रतिवादी

दावा बाबत :– धारा 88 ,89 (राज.का. अधि.1955) मुकदमा नम्बरः– 99/2021,

आदेश

निर्णय दिनांक 29.04.2022

उपस्थितः– वकील वादी व वादीया स्वयं

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील सलमा सुल्ताना ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 के तहत वास्ते विक्रय विलेख में शुद्धि बाबत पेश किया। वादीया ने जरिये वकील वाद पत्र में निवेदन किया कि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 76 पुराना 72 के खसरा नम्बर 340 रकबा 7.9201 हैक्टयर स्थित है जो कि घीसा पुत्र गोपाल लाल के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसमें घीसालाल का 839/1958 हक हिस्सा अधिकार खातेदारी में निहित थी जिसमें से वादीया ने घीसा पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी देवपुरी तहसील अरांई से 120/1958 हिस्सा क्रय जरिये विक्रय विलेख दिनांक 23.10.2020 किया था। जो उप पंजीयक कार्यालय अरांई के दिनांक 23.10.2020 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 102 में पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 202003181102128 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 256 के पृष्ठ संख्या 362 से 371 पर चस्पा किया गया है। यह है कि उक्त विक्रय विलेख करवाते समय सहवन से टाईपिंग गलती से पेज संख्या 03 पर वादीया गुटखा देवी पत्नि गोगा की जगह पर सुरज्ञान पत्नि रामधन दर्ज हो गया चुंकि वादीया अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिला है इसीलिये उक्त गलती की वादीया को जानकारी नहीं थी जब वह बेचान पत्र के आधार पर पटवारी हल्का के पास नामान्तरण के लिये गये तो उक्त तथ्य की जानकारी हुई। यह

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

कि विकय विलेख में वादीया गुटका देवी की जगह सुरज्ञान देवी दर्ज होने से वादीया को खातेदारी खुलवाने में परेशानी हो रही है उक्त खातेदारी नहीं खुलने से वादीया को ऋण लेने में तथा जमीन को विकसित करने में तथा तकासमा कराने तथा सरकार द्वारा दी जाने वादी मुआवजा राशि प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। इसीलिये वादीया का विक्रय विलेख में गुटखा देवी के स्थान पर सुरज्ञान देवी दर्ज है जिसे सूरज्ञान देवी के स्थान पर गुटखा देवी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इसीलिये यह दुरूस्ती का वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। यह है कि उक्त दुरूस्ती बाबत वादीया ने दिनांक 19.11.2021 को तहसीलदार अरांई को शुद्धि बाबत निवेदन किया तो उन्होनें अदालत में कार्यवाही कर अदालत आदेश लाने को कहा तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। इसी क्रम में वादी ने जरिये अभिभाषक निवेदन किया कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी करते हुये विवादग्रस्त आराजी ग्राम देवपुरी स्थित भूमि खाता संख्या 76 खसरा संख्या 340 रकबा 7.9201 हैक्टैयर के विक्रय विलेख में पेज संख्या 03 पर सूरज्ञान देवी के स्थान पर गुटखा देवी दुरूस्त करवाने के आदेश तहसीलदार अरांई को प्रदान करें।

2. उक्त वाद पत्र को दिनांक 20.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार अरांई का जवाब दिनांक 18.02.2022 को प्राप्त हुआ। तहसीलदार अरांई का जवाब प्राप्त होने पर विक्रेता घीसा पुत्र गोपाल जाति जाट आयु 57 साल निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर व सूरज्ञान पत्नि रामधन जाति जाट आयु लगभग 52 साल निवासी ग्राम देवपुरी जिला अजमेर को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी किये गये जिसके क्रम में सूरज्ञान पत्नि रामधन जाति जाट न्यायालय के समक्ष हाजिर हुई तथा वाद पत्र के समर्थन में अपनी सहमति व्यक्त की। घीसा पुत्र गोपाल जाति जाट आयु 57 साल निवासी ग्राम देवपुरी बावजूद न्यायालय के नोटिस प्राप्ति के बाद अनुपस्थित रहा अतः घीसा पुत्र गोपाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 22.04.2022 को वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 76 पुराना 72 के खसरा नम्बर 340 रकबा 7.9201 हैक्टयर स्थित है जो कि घीसा पुत्र गोपाल लाल के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसमें घीसालाल का 839/1958 हक हिस्सा अधिकार खातेदारी में निहित थी जिसमें से वादीया ने घीसा पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी देवपुरी तहसील अरांई से 120/1958 हिस्सा क्रय

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

...य विक्रय विलेख दिनांक 23.10.2020 किया था। जो उप पंजीयक कार्यालय अरांई के दिनांक 23.10.2020 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 102 में पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 202003181102128 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 256 के पृष्ठ संख्या 362 से 371 पर चस्पा किया गया है। यह है कि उक्त विक्रय विलेख करवाते समय सहवन से टाईपिंग गलती से पेज संख्या 03 पर वादीया गुटखा देवी पत्नि गोगा की जगह पर सुरज्ञान पत्नि रामधन दर्ज हो गया चुंकि वादीया अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिला है इसीलिये उक्त गलती की वादीया को जानकारी नहीं थी जब वह बेचान पत्र के आधार पर पटवारी हल्का के पास नामान्तरण के लिये गये तो उक्त तथ्य की जानकारी हुई अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री करते हुये विवादग्रस्त आराजी ग्राम देवपुरी स्थित भूमि खाता संख्या 76 खसरा संख्या 340 रकबा 7.9201 हैक्टैयर के विक्रय विलेख में पेज संख्या 03 पर सूरज्ञान देवी के स्थान पर गुटखा देवी दुरूस्त करवाने के आदेश तहसीलदार अरांई को प्रदान करें।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया तथा वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तहसीलदार अरांई को दिनांक 23.10.2020 को ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 76 पुराना 72 के खसरा नम्बर 340 रकबा 7.9201 हैक्टयर भूमि के विक्रय विलेख क्रम संख्या 202003181102128 में पेज संख्या 03 पर सुरज्ञान पत्नि रामधन के स्थान पर गूटखा देवी पत्नि गोगा का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित होने के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/04/22

खेमाराम यादव
उपखण्ड अधिकारी अरांई

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)